हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 89/2018 अनवान मोमाराम बनाम देदाराम	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुरटिया पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 07.06.2018 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुरटिया पर पत्रावली पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर	
07.06.2018	यह पत्रावली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुरटिया मुख्यालय पर पेश हुई। प्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01, 08 व 14 उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान् को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थी ने भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत मौजा डऊकियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भुरटिया तहसील व जिला बाडमेर के खसरा नम्बर 183 रकबा 104.13 बीघा खसरा संख्या 277 रकबा 0.07 बीघा खसरा संख्या 278 रकबा 68.06 बीघा खसरा संख्या 300 रकबा 10.02 बीघा खसरा संख्या 487/343 रकबा 18.19 बीघा खसरा संख्या 488/343 रकबा 08.08 बीघा कुल रकबा 210.15 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। उपस्थित अप्रार्थीगण ने अंकित किया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की नेखमबन्दी करवाते हे तो उन्हे कोई आपति नही है। प्रार्थीगण के खेत की नेखमबन्दी अप्रार्थीगण की उपस्थिति में की जावें। अतः मौजा डऊकियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भुरटिया तहसील व जिला बाडमेर के खसरा नम्बर 183 रकबा 104.13 बीघा खसरा संख्या 277 रकबा 0.07 बीघा खसरा संख्या 278 रकबा 68.06 बीघा खसरा संख्या 300 रकबा 10.02 बीघा खसरा संख्या 487/343 रकबा 18.19 बीघा खसरा संख्या 488/343 रकबा 08.08 बीघा कुल रकबा 210.15 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को	

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 89/2018 अनवान गोमाराम बनाम देदाराम
	जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खडी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, (एसडीओ) बाडमेर

उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner